Student Welfare - Anti-Regging राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज, देवगॉव,आजमगढ, (उ०प्र०), भारत

> RAJKIYA ENGINEERING COLLEGE. DEOGON, AZAMGARH (UP) India

> > Ragging is Strictly Prohibited

What is Ragging??

Any disorderly conduct whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any junior student, indulging in rowdy or indiscipline activities which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in fresher of a junior student or asking the student (s) to do or perform something which the student will not do in ordinary course and which has the effect of causing or generating sense of shame or embarrassment so as to adversely affect the psyche of a fresher or junior. The case of indulging in ragging is a desire, a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by seniors over the fresher's

Hon'ble Supreme Court of India

APPEAL:

PLEASE DO NOT INDULGE IN RAGGING AND HELP IN MAINTAINING IT AS A RAGGING FREE CAMPUS

राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज, देवगाँव, आजमगढ़ (उ०प्र०) भारत

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित "उ०प्र०" शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम –2010" के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या : 400/79-वि-1-10-1(क)-11-2010 के द्वारा संस्थान के भीतर एवं बाहर

रैगिंग क्या है?

"रैगिंग का तात्तर्य किसी विद्यार्थी से कोई ऐसा कार्य करने या ऐसे कृत्य का सम्पादन करने के लिए कहे जाने, शब्दों. इशारों या संकेत द्वारा किसी ऐसे कार्य को कराने, प्रलोभन देने. विवश करने, दबाव डालने से हैं, जिससे किसी भी प्रकार से मानव गरिमा का हस होता हो या जिससे वह उपहास, अभित्रास परिरोध से पीडित होता हो और उसे क्षाति पहुँचाने उसे किसी प्रकार की धमकी या अभित्रास देने. अन्यायपूर्ण नियंत्रण, अन्यायपूर्ण परिरोध करने या क्षति पहुँचाने या उस पर आपराधिक बल प्रयोग करने से हैं।

दण्ड का प्राविधान

- 1. अधिनियम के अनुसार जो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी शैक्षणिक संस्थान के भीतर या उसके बाहर रैगिंग करता है, उसमें भाग लेता है, दुष्प्रेरित करता है या उसका प्रचार करता है, उसे दो वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास या रूपये दस हजार तक के जुर्माना या दोनों से दिण्डत किया जायेगा।
- 2. अधिनियम की धरा-5 के अधिन अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी छात्र को विवर्जन के दिनांक से ऐसी अवधि के लिए जो पाँच वर्ष तक हो सकती है, किसी शैक्षणिक संस्था में दाखिल नहीं किया जायेगा।
- 3. शासनादेश संख्या : 2336/सोलह-1-2008-1-250/96टीसी, दिनांक 27 जुलाई, 2010 के अनुसार संस्थानों में इस प्रकार की घटनाओं में दोषी पाये जाने वाले छात्रों पर नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही, उनके दोष के आधार पर छात्रावास से निष्कासन, संस्थान से निलम्बन, जी०पी० मार्क में कटौती, मेस से निलम्बन एवं स्कालरिशप बन्द किए जाने की कार्यवाही की जायेगी।

कृपया रैंगिंग की किसी गतिविधि में संलिप्त न होते हुए इस विद्यालय को रैंगिंग मुक्त परिसर बनाये रखने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें।

Prof B.K. Tripathi Director